न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकारण संख्या 798/2018

1. धर्मवीर पुत्र श्री पृथ्वीराज जाति जाट निवासी चक 3 के तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. कृष्ण पुत्र बलवीर सिंह जाति जाट निवासी चक 3 के तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. राजेन्द्र पुत्र बलवीर सिंह जाति जाट निवासी चक 3 के तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. भीमसैन पुत्र बलवीर सिंह जाति जाट निवासी चक 3 के तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. गायत्री देवी पुत्री बलवीर सिंह जाति जाट निवासी चक 3 के तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. विद्यादेवी पत्नी श्री मनीराम जाति जाट निवासी चक 3 के तहसील व जिला श्रीगंगानगर
6. श्रीकान्त पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी चक 3 के तहसील व जिला श्रीगंगानगर
7. प्रताप पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी चक 3 के तहसील व जिला श्रीगंगानगर
8. विजयलक्ष्मी पुत्री श्री मनीराम जाति जाट निवासी चक 3 के तहसील व जिला श्रीगंगानगर
9. सविता पुत्री श्री मनीराम जाति जाट निवासी चक 3 के तहसील व जिला श्रीगंगानगर
10. सुमित्रा पत्नी श्री भीमसेन जाति जाट निवासी चक 3 के तहसील व जिला श्रीगंगानगर
11. विजय सिंह पुत्र श्री फूसाराम जाति जाट निवासी चक 3 के तहसील व जिला श्रीगंगानगर
12. सुमित्रा पुत्री श्री फूसाराम जाति जाट निवासी चक 3 के तहसील व जिला श्रीगंगानगर
13. समेस्ता पुत्री श्री फूसाराम जाति जाट निवासी चक 3 के तहसील व जिला श्रीगंगानगर
14. माया पुत्री श्री फूसाराम जाति जाट निवासी चक 3 के तहसील व जिला श्रीगंगानगर
15. मेनका पुत्री श्री फूसाराम जाति जाट निवासी चक 3 के तहसील व जिला श्रीगंगानगर
16. सुमन पुत्री श्री फूसाराम जाति जाट निवासी चक 3 के तहसील व जिला श्रीगंगानगर
17. रवि सिधु पुत्र श्री विजय सिंह जाति जाट निवासी चक 3 के तहसील व जिला श्रीगंगानगर
18. संजय सिधु पुत्र श्री विजय सिंह जाति जाट निवासी चक 3 के तहसील व जिला श्रीगंगानगर
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

प्रार्थना पत्र बाबत :— अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—:: उपस्थित अभिभाषक ::—

1. श्री विरेन्द्र सिहाग अधिवक्ता — — प्रार्थी
2. श्री बलराम स्वामी अधिवक्ता — — अप्रार्थी संख्या 1
3. अप्रार्थी संख्या 2 ता 10 के विरूद्ध दिनांक 11.02.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।
4. श्री अनिल जोशी अधिवक्ता — — अप्रार्थी संख्या 11 ता 18
5. पैरोकार राज — — अप्रार्थी संख्या 19

—:: आदेश ::— दिनांक :—29.07.2019

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता उपरोक्त अनवान का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी की भूमि चक 2 के, के खाता संख्या 33/30 की मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 23 में 0.127 हैक. किला नम्बर 24 में 0.253 हैक. किला नम्बर 25 में 0.253 हैक. एवं खाता संख्या 30/27 के इसी मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 21, 22, 23/1 में 0.325 हैक. (3 बिस्वा) कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रमाणित प्रतिलिपित जमाबंदी संलग्न है।

इसी चक 2 के, के खाता संख्या 61/58 की कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता 10 के नाम सांझा खाता में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संलग्न है।

प्रार्थी अपनी कृषि भूमि चक 2 के, के मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 23, 24, 25 की 0.663 हैक. भूमि में आने जाने हेतु चक 2 के, के मुरब्बा नम्बर 26 में से मंजूरशुदा रास्ता जो किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में से दक्षिण से उत्तर की ओर जाता है, से होते हुए मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 25 के पूर्वी और दक्षिण हिस्से के कोने से मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 21 में आकर किला नम्बर 21, 22, 23 में से होते हुए पश्चिम से पूर्व की ओर जाता है।

मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 21, 22, 23 की जो 2.5 बिस्वा कृषि भूमि प्रार्थी के नाम से है उसे वह तीनों किलों में रास्ते के रूप में लगातार उपयोग करता आ रहा है और इसी में से होते हुए अपनी कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 24 की 23, 24, 25 की कुल 0.633 हैक. में जाता है और अपनी कृषि भूमि में काश्त करवाता है। प्रमाणित प्रति नक्शा संलग्न प्रार्थना पत्र है।

उपरोक्त वर्णित मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 के पूर्वी किराने पर जो रास्ता चल रहा है वह मंजूरशुदा है और गांव की मुख्य सडक से आता है और मुरब्बा नबर 24 के किला नम्बर 21, 22, 23 में से एक एक बिस्वा प्रार्थी का खुद का रास्ता है। प्रार्थी को किला नम्बर 21 में प्रवेश करने के लिए मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 25 का पूर्वी, दक्षिणी कोना उपयोग करना पडता है। इसी कोने से ही वह अपने खेत में प्रवेश कर सकता है और सदामत से ही इसी तरीके से आता जाता रहा है।

मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 25 का यह 8¼ - 8¼ फुट रास्ता मंजूर नही है। इसलिए इसे मंजूर किया जाना कानूनन व इनसाफन अतिआवश्यक है। यहीं से प्रार्थी सदा आता जाता रहा है और अब गलत तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 इसे बंद करने की फिराक में

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

उपरोक्त वर्णित खाता संख्या 61/58 जो मनीराम के परिवार का सांझा खाता है लेकिन घरेलू बंटवारा में उपरोक्त खाता संख्या 61/58 के मुरब्बा नम्बर 25 का किला नम्बर 25 जिसके कोने में 8¼ - 8¼ फुट रास्ता की जगह मंजूर करवानी चाही गयी है वह अप्रार्थी संख्या 1 कृष्ण के हिस्से में आया हुआ है और हमेशा से वही इसे काश्त करवा रहा है। शेष अप्रार्थी संख्या 2 ता 10 को सहखातेदार होने के कारण आवश्यक पक्षकार होने पर उन्हें पक्षकार बनाया गया है। उनके खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 11 ता 18 खाता में सहखातेदार होने के कारण आवश्यक पक्षकार होने के कारण उन्हें पक्षकार बनाये गये हैं उनके खिलाफ भी कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। अप्रार्थी संख्या 19 लैण्ड होल्डर होने के कारण उसे पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 1 से उपरोक्त वर्णित चक 2 के, के खाता संख्या 61/58 के मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 25 के पूर्वी दक्षिणी कोने पर 8¼ - 8¼ फुट रास्ता मंजूर करवाने के बयान करने हेतु कई बार कहा लेकिन टालमटोल करते हुए आज से तीन रोज पूर्वी इनकार हो गया और इसे बंद करने की बाबत ऐलानिया कहा। यही प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश किये जाने का हेतुक प्राप्त हुआ है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि उपरोक्त वर्णित अनुसार चक 2 के, के खाता संख्या 61/58 के मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 25 में 8¼ - 8¼ फुट रास्ता पूर्वी दक्षिणी कोने पर मंजूर किया जावे ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से दिनांक 11.02.2019 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षित कथनानुसार चक प्लान के अध्ययन से स्पष्ट है कि मुरब्बा नम्बर 24 के साथ मुरब्बा नम्बर 25 व मुरब्बा नम्बर 24 के नीचे मुरब्बा नम्बर 27 व मुरब्बा नम्बर 27 के साथ मुरब्बा नम्बर 26 लगता है। मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 25, 16, 15, 6, 5 में से स्वीकृत रास्ता चल रहा है। इस प्रकार मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 5 व प्रार्थी धर्मवीर के मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 21 के कोने आपस में टकराते है। इस प्रकार प्रार्थी ने यह माना है कि उसका किला नम्बर 21, 22, 23 में स्वयं का रास्ता है, अतः उसको वास्तव में मु.नं. 25 के किला नम्बर 25 की पूर्वी –दक्षिणी कूंट में 8¼ - 8¼ फुट के रास्ता की बजाय मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 1 के उत्तरी–पश्चिमी कूंट में 8¼ - 8¼ फुट में से रास्ता की सही आवश्यकता है। मगर उसने जानबूझ कर मुरबद नम्बर 27 के भूमि मालिक जो कि उसका रिश्तेदार/भाई आदि है की भूमि बचाने की नियत से मु.नं. 25 के किला नम्बर 25 में से प्रस्तावित रास्ता गलत तौर से चाहा गया है जबकि मु.नं. 27 के किला नम्बर 1 में उत्तरी–पश्चिमी कूंट पर रास्ता स्वीकृत होने से प्रार्थी के मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 21 के साथ्ज्ञ लग जावेगा, जिससे प्रस्तावित रास्ता की अपेक्षा ना केवल नजदीकी रास्ता बल्कि सुविधानजक रास्ता भी मिल जावेगा। मगर प्रार्थी ने मन अप्रार्थी के कब्जा की भूमि का नुकसान करने की नियत से मु.नं. 25 के किला नम्बर 25 की कूंट में से रास्ता की मांग है, जो कि खारिज करने योग्य है। मन अप्रार्थी अपने रकबा मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 25 में से रास्ता देने में सहमत नहीं है। मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 1 में से रास्ता स्वीकृत होने पर मुआवजा के रूप में भूमि के बदले भूमि देने में भी सुविधा होगी, क्योंकि अपने मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 21, 22 में मु.नं. 27 के भूमि मालिक को आसानी से भूमि के बदले भूमि भी दे सकेगा क्योंकि आपस में रिश्तेदार/भाई हैं, अतः वास्तव में तो कोई रास्ता का विवाद नहीं है, अतः प्रार्थी द्वारा मांग गलत की गई है, जो कि खरिज करने योग्य है। प्रार्थी को मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 1 उत्तरी–पश्चिमी कूंट में 8¼ - 8¼ फुट का रास्ता मिलने से यह रास्ता उसके मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 21 के दक्षिणी–पश्चिमी कोने के साथ लग जावेगा तथा किला नम्बर 21 प्रार्थी ने स्वयं का होना इस मद में स्वीकार किया है। मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में से

रास्ता स्वीकृतशुदा चल रहा है, इस प्रकार प्रार्थी को मु.नं. 25 के किला नम्बर 25 की कूंट की बजाय मु.नं. 27 के किला नम्बर 1 की कूंट में से रास्ता की सुविधा होगी। मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 25 में कोई रास्ता स्वीकृत नहीं है, मगर प्रार्थी की मांग गलत होने से स्वीकार योग्य नहीं है। प्रार्थी अब भी मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 21 की कूंट से होकर ही अपने रिश्तेदार/भाई की सहमति से आ जा रहा है। जब प्रार्थी मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 1 के रास्ता से आ जा रहा है तथा यही सुविधाजनक भी है तो अपने परिवार/रिश्तेदार की भूमि बचाने की नियत से जो गलत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, वह खारिज करने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश करके अर्ज है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज करते हुए अगर उसको वास्तव में रास्ता की आवश्यकता हो तो उसके परिवार/रिश्तेदार के मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 1 की उत्तरी–पश्चिमी कूंट में से 8¼ - 8¼ फुट का रास्ता स्वीकृत किया जावे जो कि प्रार्थी की भूमि के लिए चल रहा है व सुविधाजनक है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 11 ता 18 द्वारा दिनांक 11.02.2019 को प्रार्थना पत्र का जवाब पेश न करते हुए बहस करने का कथन किया गया।

विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखीय तथ्यों एवं परिस्थितियों का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 2 के, के खाता संख्या 61/58 के मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 25 में 8¼ - 8¼ फुट रास्ता पूर्वी–दक्षिणी कोने में स्वीकृत किया जाता है। गैरमुमकिन रास्ता सार्वजजिक उपयोग हेतु रहेगा।

प्रार्थी द्वारा रास्ते के मुआवजे के फलस्वरूप डी.एल.सी. का दुगना तहसील कार्यालय में जमा करवाने के उपरान्त उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में रास्ते का नियमानुसार अमल दरामद किया जावे। जमा राशि को तहसीलदार जिसकी भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया गया है, उसको अपने स्तर से वितरित करेगा।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.07.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर